

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्ट्रेशन नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/115/2022	2022/154	11/04/2022	21.11.2022

1. Canara Bank, Alwar Dayanand Marg BHS Samiti Branch, Bala Hit, Siksha Samiti Building, Alwar (Rajasthan)

—प्रार्थी

बनाम

1. M/s Lucky Polutary Farm (Prop. Sh. Lakhan Singh Verma) At: Malawali Khora, Laxmangarh, Alwar-321633 (Rajasthan)
2. Sh. Lakhan Singh Verma S/o Sh. Kajod Mal Verma At: Malawali Khora, Laxmangarh, Alwar-321633 (Rajasthan)
3. Sh. Ashish Bhargava S/o Suresh Bhargava At: 301 Mehatab Singh Ka Nohra, Alwar-301001 (Rajasthan)

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को अकाउन्ट नं० 83161400001619 के द्वारा दिनांक 28.11.2019 को 15,00,000/—रुपये (Rupees Fifteen Lakh Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो Total Outstanding Amount As On 31-03-2021 Is Rs. 15,27,139.63/—रुपये (Rupees Fifteen Lakh Twenty Seven Thousand One Hundred Thirty Nine Rupees Sixty Three Paise Only) With Future Interest And Incidental Charges w.e.f 01-04-2021, Less Credits, If Any तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति "**Flat At Ground Floor On Plot No. 165, Khasra No. 453 To 461, 469, 471 To 477, 481 To 483, 485 To 492, 494 To 511, 513 To 515, 518 To 523, 525 To 528 (New) Village Nangla Samawadi And Khasra NO. 485 To 488, 478 To 479, 485/785 (New) Village Raises Apan Ghar Shalimar Extn. Bahadurpur, Alwar 301001 Measuring 1150 Sq. ft. Boundaries Are: North: Plot No. 166, South: Plot No. 164, East: Plot No. 154, West: Road 9.0 Mt. Wide In The Name Of M/s Lucky Polutary Farm Proprietor Sh. Lakhan Singh Verma**" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 03.04.2019 नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त "**Flat At Ground Floor On Plot No. 165, Khasra No. 453 To 461, 469, 471 To 477, 481 To 483, 485 To 492, 494 To 511, 513 To 515, 518 To 523, 525 To 528 (New) Village Nangla Samawadi And Khasra NO. 485 To 488, 478 To 479, 485/785 (New) Village**

**Raises Apan Ghar Shalimar Extn. Bahadurpur, Alwar 301001 Measuring 1150 Sq. ft.
Boundaries Are: North: Plot No. 166, South: Plot No. 164, East: Plot No. 154, West: Road 9.0
Mt. Wide In The Name Of M/s Lucky Polutary Farm Propriitor Sh. Lakhan Singh Verma"**

को दिनांक 01.12.2020 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।


प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर